सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 138/2019

श्रीमती तुलसी बाई पत्नी रामचन्द्र जी धाकड़ निवासी मडावदा, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... प्रार्थीया

बनाम

1. सीताबाई पत्नी पन्नालाल जी धाकड़, आयु वयस्क, निवासी मडावदा, तहसील बेगूँ
2. जगदीश चन्द्र पिता देराम जी धाकड़, आयु वयस्क, निवासी मडावदा, तहसील बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारीजी जरिये तहसीलदार साहब महोदयजी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदयजी चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अप्रार्थी अधिवक्ताः–कैलाशचन्द्र मन्त्री

निर्णय तिथिः–20.04.2026

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर० टी० एक्ट

उक्त प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 व 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि :–

यह कि ग्राम मडावदा पटवार हल्का आँवलहेड़ा तहसील बेगूँ में खाता संख्या 77 (सम्वत 2071 से 2074) में प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं हिस्सेदारी में निम्न आराजीयात अवस्थित है :–

खाता नम्बर	आराजी संख्या	रकबा हेक्टर
77	09	0.3800
	1094/9	0.1700
कुल किता 02 कुल रकबा 0.5500 हेक्टर		

यह कि प्रार्थीया तुलसी बाई धाकड़ की उक्त वर्णित कृषि भूमि में आने जाने एवं फसल ले जाने लाने का एक मात्र कदीमी एवं पुश्तैनी रास्ता मड़ावदा गांव से उत्तर दिशा की तरफ एक पुराना रास्ता है, जो उत्तर दिशा में आगे जाकर बेगूँ से रावतभाटा मुख्य सड़क से मिलता है, इस रास्ते पर ग्राम मड़ावदा की खसरा संख्या 11 पर लाल स्याही से अंकित अ से ब स्थान तक है, अ स्थान से प्रार्थीया पश्चिम से पूर्व में ब स्थान तक अपनी आराजी नम्बर 09 एवं 1094/9 के दक्षिण कोने पर होकर अपनी आराजी खसरा संख्या 09 एवं 1094/9 में वर्षों से, अर्थात अरसा कदमी से पुश्तैनी तौर से आ रहा जा रहा है, जो 15 फिट चौड़ाई में बना हुआ रास्ता है। प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है।

यह कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 11 रकबा 0.6700 हेक्टर भूमि प्रार्थीया की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित है, विपक्षीगण ने दिनांक 05/11/2019 को अपनी फसल को जब प्रार्थीया खेत से निकाल रहा था, तब ट्रेक्टर को रोक दिया और कहा कि यहां आज से तुम्हारा कोई रास्ता नही है, अब यहां से मत निकलना, प्रार्थीया के पास इस रास्ते के अलावा अपनी आराजी खसरा संख्या 09 एवं 1094/9 पर आने जाने का अन्य कोई मार्ग नही है। विपक्षीगण ने मौके पर बने हुए रास्ते को भी हांक दिया है व निशानात भी मिटा दिये है, तथा विपक्षीगण ने प्रार्थीया को अपनी आराजी में फसल की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आयात आराजी संख्या 1, 1/1 एवं 10 नम्बर पर पहुंचने के लिए कुम्हार परिवार मार्ग अवरुद्ध कर दिये जाने की धमकियां दिया जाने से एवं अपनी सुविधा के लिए विपक्षी सं० 2 के कब्जे की हिस्सा भूमि आराजी संख्या 11 से नया रास्ता निकालना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थियों का प्रार्थनापत्र निरस्त योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थियां का पति रामचन्द्र एवं विपक्षी सं० 2 के पिता देशराम जी सगे भाई है । प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 2 के परिवार की पुश्तैनी आराजी, आराजी संख्या 1 एवं 1/1 हैं एवं आराजी संख्या 10 भी प्रार्थियां व विपक्षी सं० 2 के परिवार के ही कब्जे काश्त में है । आराजी संख्या 1/1 तक पहुंचने का रिकॉर्डड रास्ता ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 27 ग्राम गणेशपुरा की आराजी संख्या 64 एवं 62 से होकर पहुंच रहा है । आराजी संख्या 62 पर मुलीबाई पत्नी चुन्नीलाल कुम्हार द्वारा अतिक्रमण कर लिया एवं आराजी संख्या 62 के दोनो छोर पर फाटके लगा रक्खी हैं जिससे प्रार्थियाँ , विपक्षी सं० 2 व इनके भाई बंधु आ जा रहे हैं । आराजी संख्या 1 व 1/1 एवं 10 प्रार्थियों की आराजी संख्या 9 व 1094/9 से मिलती हुई है जिससे ही प्रार्थियों वर्तमान में आ जा रही हैं एवं यही प्रार्थियों का रास्ता है । कुम्हार परिवार द्वारा रास्ता बंद करने की लगातार धमकियां दिये जाने से एवं सुविधा की दृष्टि से प्रार्थियों की खरीद सुदा भूमि की आड में प्रार्थियों, विपक्षी सं० 2 व इनके परिवार के लोग नया मार्ग निकालना चाहते हैं जो दिया जाना कानूनन संभव नहीं है ।

यह कि प्रार्थियों की आवेदित भूमि पर पहुंचने हेतु ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 61 की पूर्वी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 61, 60, 59, 58, 57 एवं 56 की उत्तरी सीमा पर होकर जारी हैं जो मौके पर आज भी आराजी संख्या 57 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक छोडा हुआ है एवं यहां से आराजी संख्या 7 की दक्षिणी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 9 पर पहुंचा जा सकता हैं । प्रार्थियों द्वारा भूमि खरीद से पहले यही रास्ता पूर्व के खातेदारों का था जिसे वे उपयोग करते आये हैं । लेकिन प्रार्थियों अपनी खरीद सुदा एवं अन्य पैतृक भूमियों के लिए सुविधाजनक रास्ता चाहने से जानबुझ कर विपक्षी संख्या 1 को नुकसान पहुंचाने व परेशान करने की गरज से गलत एवं वेग तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र विपक्षी सं0 2 से मिल कर प्रस्तुत किया हैं जो निरस्त योग्य है ।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में न्यायालय द्वारा रास्ता के सम्बन्ध मे पूर्व में ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उनके पत्रांक 491 दिनांक 03.12.2025 के साथ रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत काटुन्दा,मौका रिपोर्ट, नक्शा व राजस्व लेखाकर द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. अनुसार राशि की गणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 1094/9 एवं आराजी संख्या 9 किता 02 रकबा 0.55 हेक्टेयर भूमि प्रार्थिया तुलसीबाई पत्नी रामचन्द्र धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त आराजीयात पर पहुचने हेतु कोई रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है।

2. आराजी संख्या 1094/9 व 9 तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है।

3. प्रार्थना पत्र अनुसार गणेशपुरा से काटून्दा–सिंगोली सडक की ओर जाने वाले ग्रामीण कच्चे रास्ते से आराजी संख्या 11 की दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1094/9 तक रास्ता चाहा है। यदि उक्त रास्ता प्रार्थना पत्र अनुसार दिया जाता है तो इस प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 132 मीटर होगी तथा इस रास्ते में आराजी संख्या 11 की 132 मीटर X 5 मीटर यानि 660 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी।

4. उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई चाह/ट्यूबवेल/निर्माण आदि नहीं है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी संख्या 11 रकबा 0.67 हेक्टेयर जगदीश पुत्र देराम 1/2 सीताबाई पत्नी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

नही करने दी, प्रार्थीया ने अन्य लोगों से विनती करके बड़ी मुश्किल से उनकी जमीन में से जाकर अपनी आराजी में बुवाई की है। प्रार्थीया अपनी आराजी संख्या 09 व 1094/9 में स्थायी रूप से अपने पुश्तैनी एवं कदीमी रास्ता नक्शे में अंकन करने हेतु एवं रास्ता भूमि को बिलानाम रास्ता के रूप में रिकॉर्ड में अंकन कराना चाहती है, इसलिए प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीया का मौके पर पुश्तैनी रास्ता है जिसे पूर्व स्थित अनुसार चालु कराया जाना बहुत ही जरूरी है अन्यथा प्रार्थीया अपने खेत का उपयोग उपभोग नही कर पायेगी। मौके पर रास्ता आगे भी अन्य खेतों पर जाने का चालु है, केवल प्रार्थीया को ही विपक्षीगण रोकना चाह रहें है। क्योंकि खसरा संख्या 11 के दक्षिण में स्थित लाल स्याही से अंकित अ से ब स्थान से होकर आराजी संख्या 09 एवं 1094/9 प्रार्थीया की आराजी में जा रहा है, 1. यह कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की खातेदारी की होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थिया की आराजी संख्या 09 एवं 1094/9 पर आने जाने का पुश्तैनी एवं सुखाधिकार प्राप्त कदीमी रास्ता जो आराजी संख्या 11 के दक्षिण में स्थित लाल स्याही से अंकित अ से ब स्थान का रास्ता पुश्तैनी व कदीमी तौर पर स्थित है, विपक्षी के द्वारा प्रार्थिया को आने जाने से रोक रहा है जो किसी भी रूप से न्यायोचित एवं उचित नहीं है, इसलिए खसरा संख्या 11 के दक्षिण हिस्से पर प्रार्थिया द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थिया को उपलब्ध कराया जाकर रास्ता भूमि को विपक्षीगण के खाते से हटाकर रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान किया जावें। प्रार्थिया भूमि का डी. एल. सी. मुल्यांकन के आधार पर न्यायालय आदेशानुसार कीमत अदा करने हेतु तैयार व तत्पर है। उक्त अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया कि यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं० 1 प्रार्थियों स्वयं प्रमाणित करें ।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं० 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थियां ने यह भूमि खरीद की हैं तो पुश्तैनी होने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। प्रार्थियां का कभी भी नक्शा वर्णित रास्ता नहीं रहा हैं, प्रार्थियों ने मात्र अपनी सुविधा की दृष्टि से एवं ग्राम गणेशपुरा के खातेदार मूलीबाई पत्नी चुन्नीलाल कुम्हार द्वारा इनकी पुश्तैनी भूमि का रिकॉर्डेड रास्ता हांक देने से विपक्षी की भूमि में नया मार्ग कायम कराना चाहती है । स्पष्टीकरण विशेष कथन में वर्णित है ।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं० 3 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थियों ने काल्पनिक तथ्य अंकित किये है। विपक्षी सं० 2 स्वयं प्रार्थियों का भतीजा (जेठ का लड़का) हैं जिसके द्वारा किसी तरह का कृत्य प्रार्थियों के साथ किया जाना कैसे संभव है । प्रार्थियों के पास दो दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है।

यह कि प्रार्थनापत्र की कलम सं० 4 गलत होकर अस्वीकार है । प्रार्थिया द्वारा आराजी संख्या 9 व 1094/9 खरीदने से पूर्व इस आराजी में आने जाने का मार्ग आराजी संख्या 61 की पूर्वी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 61, 60, 59, 58 एवं 57, 56 की उत्तरी सीमा पर होकर जारी हैं जो मौके पर आज भी आराजी संख्या 57 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक छोड़ा हुआ हैं। प्रार्थियों ने जानबूझ कर अपनी अन्य परिवार की

(उपखण्ड अधिकारी)

...ल 1/2 धाकड सा.देह रहन हिस्सा 1/2 सीताबाई का एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. ...ा बेगूँ के नाम रहन दर्ज है।

5. इसके अतिरिक्त एक अन्य न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है। यह प्रस्तावित रास्ता आराजी संख्या 63 व 10 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1094/9 को जोडता है। इस प्रस्तावित की लम्बाई 115 मीटर होगी जिसमें आराजी संख्या 63 की 15मी. X 5 मी. यानि 75 वर्गमीटर व आराजी संख्या 10 की 100मी. X 5मी. यानि 500 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। उक्त आराजी खसरा संख्या 63 व 10 के दीगर खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी जमाबंदी संलग्न है।

6. उक्त प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का चाह/ट्यूबवेल/निर्माण आदि नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र अनुसार चाहे गये प्रस्तावित रास्ते एवं न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ते के संबंध में मुआवजा राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई जाकर संलग्न है।

प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते के लिए डी.एल.सी. अनुसार राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा निम्न प्रकार से की गई :–

भू.अ.नि. वृत्त काटूंदा की रिपोर्ट अनुसार आवेदन के क्रम में रास्ते हेतु 02 विकल्प दर्शाए गए हैं। उक्त दोनों विकल्पों अनुसार प्रभावित काश्तकारों को देय मुआवजा राशि निम्नानुसार है:–

प्रथम विकल्प अनुसार–आराजी संख्या 11 से 660 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं:–

प्रभावित भूमि का मूल्य = DLC = 1290000/- हे०,DLC का दुगुना = 1290000X2 = 2580000/- हे० या 258 रूपये/वर्गमीटर

1. वर्तमान जमाबंदी अनुसार ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 11 के प्रभावित भूमिधारकों को देय राशि निम्नानुसार हैंरू–कुल देय राशि = 660x258 = 170280/–

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1.	11	जगदीश पुत्र देराम जाति धाकड़	1/2	85140
2.	11	जगदीश पुत्र देराम जाति धाकड़	1/2	85140

द्वितीय विकल्प अनुसार :–

आराजी संख्या 63 में से 75 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 10 में से 500 वर्गमीटर कुल 575 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है :–

1. वर्तमान जमाबंदी अनुसार ग्राम गणेशपुरा की आराजी संख्या 63 के कृषकों को देय मुआवजा राशि निम्नानुसार हैं:–= 75X258 = 19350/–

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1.	63	मुलीबाई पत्नी चुन्नीलाल जाति कुम्हार	सम्पूर्ण	19350

(ब.) ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 10 के कृषकों को देय मुआवजा राशि का विवरण दिया गया है।

कुल मुआवजा राशि की गणना = 500x258 = 129000

क्र.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1.	10	कालू पुत्र भोला जाति गुर्जर	1/15	8600
2.		किशन पुत्र छोगा जाति गुर्जर	1/9	14333
3.		जमना पुत्री भोला जाति गुर्जर	1/15	8600

(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

	दिनेशचन्द्र पुत्र छितर जाति गुर्जर	1/15	8600
	धर्मराज पुत्र छितर जाति गुर्जर	1/15	8600
	नाराणी बाई पत्नी छितर जाति गुर्जर	1/15	8600
	राजू पुत्र छोगा जाति गुर्जर	1/9	14333
	रामकन्या पुत्री छितर जाति गुर्जर	1/15	8600
	लाली पुत्री भोला जाति गुर्जर	1/15	8600
	शांति पुत्री भोला जाति गुर्जर	1/15	8600
	संजू पुत्री छितर जाति गुर्जर	1/15	8600
	हंगामी पुत्री छोगा जाति गुर्जर	1/9	14334
	हिरी पुत्री भोला जाति गुर्जर	1/15	8600

पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251(ए) आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर करते हुए उनके खातेदारी की कृषि आराजी आराजी संख्या 09 एवं 1094/9 पर आने जाने का पुश्तैनी एवं सुखाधिकार प्राप्त कदीमी रास्ता जो आराजी संख्या 11 के दक्षिण में स्थित लाल स्याही से अंकित अ से ब स्थान का रास्ता पुश्तैनी व कदीमी तौर पर स्थित है, विपक्षी के द्वारा प्रार्थिया को आने जाने से रोका रहा है जो किसी भी रूप से न्यायोचित एवं उचित नहीं है, इसलिए खसरा संख्या 11 के दक्षिण हिस्से पर प्रार्थिया द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थिया को उपलब्ध कराया जाकर रास्ता भूमि को विपक्षीगण के खाते से हटाकर रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवेदित भूमि पर पहुंचने हेतु ग्राम मडावदा की आराजी संख्या 61 की पूर्वी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 61, 60, 59, 58, 57 एवं 56 की उत्तरी सीमा पर होकर जारी हैं जो मौके पर आज भी आराजी संख्या 57 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक छोडा हुआ है एवं यहां से आराजी संख्या 7 की दक्षिणी सीमा पर होते हुए आराजी संख्या 9 पर पहुंचा जा सकता हैं। प्रार्थियों द्वारा भूमि खरीद से पहले यही रास्ता पूर्व के खातेदारों का था जिसे वे उपयोग करते आये हैं। यदि विपक्षीगण की कृषि आराजी से रास्ता कायम किया जाता है तो विपक्षीगण को आर्थिक क्षति होगी, साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत रास्ते की रिपोर्ट भी सही प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, इस सम्बन्ध में भूमिधारी के कथन कि प्रार्थीगण के कृषि आराजी पर पहुॅच के लिए आराजी संख्या 10 से होकर रास्ते के माध्यम से पहुॅच का रास्ता अति निकटतम हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत कोई भी खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि पर पहुॅच के लिए निकटतम मार्ग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, रास्ते की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते के लिए भूमि आराजी संख्या 10 मे से रास्ता कायम किया जाने से प्रार्थीगण को निकटतम मार्ग उपलब्ध होता है, प्रार्थीगण उक्त रास्ते के लिए सहमत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ